

साथ ही आवश्यक सेवाओं के निष्पादन में मण्डी परिषद एवं मण्डी समिति के जो अधिकारी, कर्मचारी एवं वाहन लगें हुए हैं उनको भी न रोका जाए।

4. इस विषय में आप कृपया अपने जनपद की मण्डी समितियों के अधिकारियों एवं सम्बन्धित व्यापारियों से सम्बन्ध कर ऐसी व्यवस्था को बनाने का कष्ट करें जिससे फल एवं सब्जी जैसी आवश्यक वस्तुओं के व्यापार से सम्बन्धित प्रतिष्ठान स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मानकों का पालन करते रहे एवं मांगडल वाहनों / टेला गाड़ियों के माध्यम से भी जनसामान्य को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सकें। इससे लोगों को आवश्यक उपयोग की वस्तुएं उनके घर के निकटतम उपलब्ध हो सकेंगी और मण्डियों एवं बाजारों में होने वाली अनावश्यक भीड़ से भी बचा जा सकेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार जनहित में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।  
सलग्नक—यथोक्त।

भवदीय

(डा० देवेश चतुर्वेदी)  
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, लखनऊ।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र०।
6. खाद्य आयुक्त, उ०प्र०।
7. निदेशक, मण्डी परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से उपरोक्त निर्देशों को सभी मण्डी परिषद और मण्डी समितियों के अधिकारियों को अनुपालन कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(डा० देवेश चतुर्वेदी)  
प्रमुख सचिव